सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1441/CG/4/2023-ESDW **दिनांक: 13.04.2023**

डॉ. रवि मित्तल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला-जशपुर,
कलेक्टर कार्यालय, जशपुर,
जिला-जशपुर
छत्तीसगढ़-496331
ई-मेल: jashpur.cg@gov.in

श्री डी. रविशंकर,
पुलिस अधीक्षक,
जिला-जशपुर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़,
पिन-496331,
ई-मेल: sp-jashpur.cg@gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति की भूमि पर निर्मित अहाता को तोड़ कर गैर आदिम जनजाति के सदस्य द्वारा कब्ज़ा किए जाने के संबंध में डॉ. बी. एल. भगत, जिला अध्यक्ष, उरांव समाज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डोडकाचौरा, गम्हरिया, जिला–जशपुर, छत्तीसगढ़- 496331 से दिनांक 26.01.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **डॉ. बी. एल. भगत से दिनांक 26.01.2023 में** एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है।अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **डॉ. बी. एल. भगत,**
   जिला अध्यक्ष, उरांव समाज,
   हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डोडकाचौरा,
   गम्हरिया, जिला–जशपुर,
   छत्तीसगढ़- 496331
2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।**